न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती हुकम कंवर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 44A / 18

GCMS id : 2018/00075

1. सत्यनारायण आत्मज स्व. भंवरलाल, जाति अहीर
2. बद्रीलाल आत्मज स्व. भंवरलाल, जाति अहीर

निवासीगण ग्राम मानसगांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1. रघुनाथ आत्मज स्व. देव्या, जाति अहीर, निवासी द्वारा मकान नं. 483 सी, श्रीनाथपुरम, बाबा रामदेव मन्दिर के पास, लक्की किराना स्टोर वाली गली, श्रीनाथपुरम, कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : श्री घनश्याम नागर वादीगण अभिभाषक
श्री बृजराज कुमार मंत्री, प्रतिवादी अभिभाषक

दिनांक : 16.06.2025

वादीगण द्वारा अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मे एक वाद प्रस्तुत किया था जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा क निर्णय अपील उपरांत माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी से प्रतिप्रेषित होने से प्राप्त हुआ। जिसके संक्षिप्त मे तथ्य निम्नानुसार है।

- वादीगण की खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1057 की रकबा 3.08 हैक्टर व खसरा नम्बर 1065 की रकबा 1.00 हैक्टर कुल रकबा 4.08 हैक्टर ग्राम मानसगांव तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है। उक्त आराजी पूर्व में वादीगण के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, तत्पश्चात वादीगण के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उक्त आराजी वादीगण व उसके भाई–बहन के नाम राजस्व रिकॉर्ड के खाते में दर्ज कर दी गई जिस पर वादीगण का काविज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी का नाम भी दर्ज कर दिया है।
- वादीगण के पिता की मृत्यु होने के पश्चात उक्त आराजी को वादीगण ही काश्त करते आ रहे है और वर्तमान में भी उक्त आराजी पर काविज काश्त है प्रतिवादी का उक्त आराजी पर कभी कोई कब्जा नही रहा। वादीगण की माता वादीगण के पिता स्वर्गीय भँवरलाल के नाते आयी थी तथा उन दोनों के नुत्फे से वादीगण व उनके भाई राधेश्याम व उसकी बहन हुये जो स्वर्गीय भँवरलाल जी की जायज सन्तानें है।
- रघुनाथ व वादीगण की माता एक ही है लेकिन प्रतिवादी वादीगण की माता का स्वर्गीय भँवरलाल के नाते आते समय प्रतिवादी गैलड़ आया था जो वादीगण की माता के पूर्व पति देव्या के नुत्फे से उत्पन्न हुआ था जिससे प्रतिवादी क्रम–1 स्वर्गीय भँवरलाल की जायज सन्तान नही है तथा प्रतिवादी क्रम–1 का स्व0 भँवरलाल की सम्पत्ति में कोई अधिकार पैदा नही होता है।
- रघुनाथ के पिता का नाम देव्या है तथा देव्या की आराजी में भी प्रतिवादी क्रम–1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था तथा उक्त आराजी को प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा अन्य को बेचान कर दिया है। रघुनाथ का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से दर्ज हो गया है जिसे माननीय न्यायालय की सहायता से राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाना आवश्यक है क्योंकि प्रतिवादी क्रम–1 का उक्त आराजी पर कोई विधिक अधिकार उत्पन्न नही होता है और वादीगण की पिता की मृत्यु के पश्चात से ही वादीगण उक्त आराजी पर कब्जे काश्त है और वह इसे काश्त करते आ रहे है प्रतिवादी का उक्त आराजी पर कभी कोई कब्जा भी नही रहा है।
- प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकॉड में उक्त आराजी पर वादीगण के नाम के साथ दर्ज हो गया है जिसका लाभ उठाकर प्रतिवादी क्रम–1 उक्त आराजी को अन्य को बेचान करने पर आमादा है इसी सिलसिले में प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा उक्त आराजी को बेचान करने हेतु कुछ व्यक्तियों को आराजी देखने हेतु दिनांक 08.08.2016 को भेजा जिन्हें वादीगण द्वारा बताया कि उक्त आराजी पर उनका कब्जा चला आ रहा है। तत्पश्चात वादीगण द्वारा नकलें प्राप्त कर उक्त वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
- वर्तमान उक्त आराजी शामलाती खाते की है व उक्त आराजी पर वादीगण का ही कब्जा है जिसे बिना विभाजन किये ओर कब्जे के अभाव में कोई सह काश्तकार बेचान करने का अधिकारी नही है। प्रतिवादी क्रम–1 के पिता का नाम देव्या है तथा प्रतिवादी क्रम–1 स्व0 भँवरलाल की जायज सन्तान नही होने से उसे उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है तथा प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाना आवश्यक है क्योंकि प्रतिवादी क्रम–1 उक्त आराजी को तुरन्त बेचान करने पर आमादा है जिसे रोका जाना आवश्यक है। वादीगण के समक्ष अन्य विकल्प नही होने से उक्त वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
- वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से प्रतिवादी क्रम–1 उक्त आराजी को बेचान करने व वादीगण को कब्जे से बेदखल करने से रोकने व राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी क्रम–1 नाम हटाये जाने हेतु वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा सकें।

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि–

- प्रतिवादी क्रम–1 आराजी खसरा नम्बर 1057 की रकबा 3.08 हैक्टर व खसरा नम्बर 1065 की रकबा 1.00 हैक्टर कुल रकबा 4.08 हैक्टर ग्राम मानसगांव तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है में से प्रतिवादी क्रम–1 का नाम

हटाया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा से रघुनाथको स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल नही करे।

प्रतिवादी क्रम–2 द्वारा निम्न जवाब प्रस्तुत किया गया–

- प्रतिवादी क्रम–1 की माता के स्वर्गीय भँवरलाल के यहा नाते आने पर प्रतिवादी क्रम–1 का भी स्वर्गीय भँवरलाल की सम्पत्ति में उतना ही अधिकार निहीत है जितना की वादीगण का, वादीगण व प्रतिवादी क्रम–1 की माता एक ही है, वादीगण का यह कथन असत्य है कि प्रतिवादी क्रम–1 का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नही रहा हो, श्री भँवरलाल के निधन के बाद स्वर्गीय भँवरलाल का फौती इंतकाल खोला गया ओर प्रतिवादी क्रम–1 भी स्वर्गीय भँवरलाल का विधीक वारिस होने से रेवेन्यु रिकॉर्ड में उसका नाम विधिवत रूप से अंकित किया गया इस संबंध में वादीगण ने तत्समय कोई आपत्ति नही की ओर प्रतिवादी क्रम–1 आराजी का संयुक्त खातेदार होकर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है।
- प्रतिवादी क्रम–1 का नाम रेवेन्यु रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अंकित किया गया है जिसे हटाये जाने का वादीगण को अधिकार नही है। वादीगण द्वारा न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है। वादीगण का वाद मौजूदा सूरत में चलने योग्य नही है। प्रतिवादी क्रम–1 अपने हिस्से की आराजी विक्रय करने का विधिक अधिकार प्राप्त है।
- यह कि वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी आराजी खसरा नम्बर 1057 की रकबा 3.08 हैक्टर व खसरा नम्बर 1065 की रकबा 1.00 हैक्टर कुल दो किता रकबा 4.08 हैक्टर वाके ग्राम मानस गॉव तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में प्रतिवादी क्रम–1 का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी में अंकित है तदनुसार प्रतिवादी क्रम–1 उक्त आराजी में अपने हिस्से की भूमि में काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। प्रतिवादी क्रम–1 उक्त आराजी का सह खातेदार होने से उसका हित निहीत है ओर अपने हिस्से की आराजी के संबंध में उसे सभी अधिकार प्राप्त है इस संबंध में वादीगण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नही है। अतः वादीगण का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावे तथा विशेष हर्जाना रूपये 10000/– वादीगण से दिलवाया जावे।

प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

1. आया भँवरलाल आत्मज जगन्नाथ जी ने भँवरी बाई देवा के साथ नाता विवाह किया, उक्त समय भँवरी बाई के साथ रघुनाथ गैलड आया था।
   –वादीगण
2. आया भँवरलाल आत्मज जगन्नाथ जी का रघुनाथ जायन्दा पुत्र नही होने से भँवरलाल जी की सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकारी नही है।
   –वादीगण
3. आया प्रतिवादी द्वारा अपने पिता देव्या जी से प्राप्त नाम अलोद तहसील रामगजमण्डी से प्राप्त सम्पत्ति का हक त्याग अपने भाई घनश्याम के पक्ष में पंजीयन करवा दिया गया।
   –वादीगण
4. आया प्रतिवादी भँवरलाल आत्मज जगन्नाथ जी का पुत्र होने से सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकारी होने से प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होकर खातेदार है। –
   प्रतिवादीगण
5. सहायता–

प्रकरण मे वादी अभिभाषक एवं प्रतिवादी अभिभाषक की बहस सुनी गई।

वादी अभिभाषक द्वारा अपने दावे के कथनो को दुहराते हुये निम्न निवेदन किया गया।

- वादीगण की खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1057 की रकबा 3.08 हैक्टर व खसरा नम्बर 1065 की रकबा 1.00 हैक्टर कुल रकबा 4.08 हैक्टर ग्राम मानसगांव तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है। उक्त आराजी पूर्व में वादीगण के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, तत्पश्चात वादीगण के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उक्त आराजी वादीगण व उसके भाई–बहन के नाम राजस्व रिकॉर्ड के खाते में दर्ज कर दी गई जिस पर वादीगण का काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी का नाम भी दर्ज कर दिया है। विवादित आराजी को वादीगण ही काश्त करते आ रहे है और वर्तमान में भी उक्त आराजी पर काबिज काश्त है प्रतिवादी का उक्त आराजी पर कभी कोई कब्जा नही रहा।
- वादीगण की माता वादीगण के पिता स्वर्गीय भँवरलाल के नाते आयी थी तथा उन दोनों के नुत्फे से वादीगण व उनके भाई राधेश्याम व उसकी बहन हुये जो स्वर्गीय भँवरलाल जी की जायज सन्तानें है तथा रघुनाथ व वादीगण की माता एक ही है लेकिन प्रतिवादी वादीगण की माता का स्वर्गीय भँवरलाल के नाते आते समय प्रतिवादी गैलड़ आया था जो वादीगण की माता के पूर्व पति देव्या के नुत्फे से उत्पन्न हुआ था जिससे प्रतिवादी क्रम–1 स्वर्गीय भँवरलाल की जायज सन्तान नही है तथा प्रतिवादी क्रम–1 का स्व0 भँवरलाल की सम्पत्ति में कोई अधिकार पैदा नही होता है।
- रघुनाथ के पिता का नाम देव्या है तथा देव्या की आराजी में भी प्रतिवादी क्रम–1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था तथा उक्त आराजी को प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा अन्य को बेचान कर दिया है। रघुनाथ का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से दर्ज हो गया है जिसे माननीय न्यायालय की सहायता से राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाना आवश्यक है क्योंकि प्रतिवादी क्रम–1 का उक्त आराजी पर कोई विधिक अधिकार उत्पन्न नही होता है प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजी पर वादीगण के नाम के साथ दर्ज हो गया है जिसका लाभ उठाकर प्रतिवादी क्रम–1 उक्त आराजी को अन्य को बेचान करने पर आमादा है इसी सिलसिले में प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा उक्त आराजी को बेचान करने हेतु कुछ व्यक्तियों को आराजी देखने हेतु दिनांक 08.08.2016 को भेजा जिन्हें वादीगण द्वारा बताया कि उक्त आराजी पर उनका कब्जा चला आ रहा है। तत्पश्चात वादीगण द्वारा नकलें प्राप्त कर उक्त वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी क्रम–1 के पिता का नाम देव्या है तथा प्रतिवादी क्रम–1 स्व0 भँवरलाल की जायज सन्तान नही होने से उसे उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही

है तथा प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से से हटाया जाना आवश्यक है क्योंकि प्रतिवादी क्रम–1 उक्त आराजी को तुरन्त बेचान करने पर आमादा है जिसे रोका जाना आवश्यक है।

- वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से प्रतिवादी क्रम–1 उक्त आराजी को बेचान करने व वादीगण को कब्जे से बेदखल करने से रोकने व राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी क्रम–1 नाम हटाये जाने हेतु वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा सकें।

अतः वाद वादीगण स्वीकार कर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि–

- प्रतिवादी क्रम–1 आराजी खसरा नम्बर 1057 की रकबा 3.08 हैक्टर व खसरा नम्बर 1065 की रकबा 1.00 हैक्टर कुल रकबा 4.08 हैक्टर ग्राम मानसगाँव तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में स्थित है में से प्रतिवादी क्रम–1 का नाम हटाया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा से रघुनाथको स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल नही करे।

☞ वादीगण ने अपने दावे के समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया।
आर०बी०जे 2005 (12) पेज 33–36

Only legitimate child has got right of succession in ancestral property and galad children has no right of succession.

प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा अपने जवाब दावे के कथनों को दुहराते हुये निम्न निवेदन किया गया–

- प्रतिवादी क्रम–1 की माता के स्वर्गीय भँवरलाल के यहा नाते आने पर प्रतिवादी क्रम–1 का भी स्वर्गीय भँवरलाल की सम्पत्ति में उतना ही अधिकार निहित है जितना की वादीगण का, वादीगण व प्रतिवादी क्रम–1 की माता एक ही है, वादीगण का यह कथन असत्य है कि प्रतिवादी क्रम–1 का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नही रहा हो, श्री भँवरलाल के निधन के बाद स्वर्गीय भँवरलाल का फौती इंतकाल खोला गया और प्रतिवादी क्रम–1 भी स्वर्गीय भँवरलाल का विधीक वारिस होने से रेवेन्यु रिकॉर्ड में उसका नाम विधिवत रूप से अंकित किया गया इस संबंध में वादीगण ने तत्समय कोई आपति नही की और प्रतिवादी क्रम–1 आराजी का संयुक्त खातेदार होकर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है।
- प्रतिवादी क्रम–1 का नाम रेवेन्यु रिकॉर्ड मे विधिवत रूप से अंकित किया गया है जिसे हटाये जाने का वादीगण को अधिकार नही है। वादीगण द्वारा न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है। वादीगण का वाद मौजूदा सूरत में चलने योग्य नही है। प्रतिवादी क्रम–1 अपने हिस्से की आराजी विक्रय करने का विधिक अधिकार प्राप्त है।

- यह कि वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी आराजी खसरा नम्बर 1057 की रकबा 3.08 हैक्टर व खसरा नम्बर 1065 की रकबा 1.00 हैक्टर कुल किता रकबा 4.08 हैक्टर वाके ग्राम मानस गॉव तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में प्रतिवादी क्रम–1 का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी में अंकित है तदनुसार प्रतिवादी क्रम–1 उक्त आराजी में अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। प्रतिवादी क्रम–1 उक्त आराजी का राह खातेदार होने से उसका हित निहीत है और अपने हिस्से की आराजी के संबंध में उसे सभी अधिकार प्राप्त है इस संबंध में वादीगण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नही है। अतः वादीगण का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावे तथा विपक्षी हर्जाना रूपये 10000/– वादीगण से दिलवाया जावे।

प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त प्रकरण में कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय की जाती है–

1. आया भँवरलाल आत्मज जगन्नाथ जी ने भँवरी बाई देवा के साथ नाता विवाह किया, उक्त समय भँवरी बाई के साथ रघुनाथ गैलड आया था। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था।
वादीगण द्वारा पत्रावली मे प्रदर्श 3 दस्तावेज रिलीज डीड का पेश किया गया। जिसमे रघुनाथ को वादीगण के माता के पूर्व पति देव्या का पुत्र होना बताया गया है। वादीगण की माता, वादीगण के पिता स्व. भंवरलाल के नाते आई थी तथा उन दोनों के नुत्फे से वादीगण व उनके भाई राधेश्याम व उसकी बहन हुये जो स्व. भंवरलाल की जायज सन्तानें है। रघुनाथ व वादीगण की माता एक ही है, लेकिन वादीगण की माता का स्व. भंवरलाल के नाते आते समय अतः प्रतिवादी क्रम 1 गैलड आया था जो वादीगण की माता के पूर्व पति देव्या के नुत्फे से उत्पन्न हुआ था जिससे रघुनाथ भंवरलाल की जायज सन्तान नहीं है। यह तनकी वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।
2. आया भँवरलाल आत्मज जगन्नाथ जी का रघुनाथ जायन्दा पुत्र नही होने से भँवरलाल जी की सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकारी नही है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था।
पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श 3 का अवलोकन अध्ययन करने पर स्पष्ट है। रघुनाथ पुत्र देव्या द्वारा ग्राम अलोद तहसील रामगंजमण्डी की आराजी रघुनाथ द्वारा जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड सहखातेदार घनश्याम पुत्र देव्या के नाम कर दी गई। अतः स्पष्ट है रघुनाथ भंवरलाल का जायन्दा पुत्र नही है तथा प्रतिवादी क्रम 1 रघुनाथ अपने पूर्व पिता की सम्पत्ति मे अधिकार प्राप्त कर चुका है। प्रतिवादी क्रम 1 रघुनाथ भंवरलाल की सम्पत्ति मे अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है। यह तनकी वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।
3. आया प्रतिवादी द्वारा अपने पिता देव्या जी से प्राप्त ग्राम अलोद तहसील रामगंजमण्डी से प्राप्त सम्पति का हक त्याग अपने भाई घनश्याम के पक्ष में पंजीयन करवा दिया गया। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था।
प्रदर्श 3 का अवलोकन अध्ययन करने पर स्पष्ट है, प्रतिवादी क्रम 1 को अपने पूर्व पिता से प्राप्त आराजी ग्राम अलोद, पटवार मण्डल अलोद, तहसील रामगंजमण्डी शामलाती खाते की भूमि खाता संख्या 46 की आराजी मे प्रतिवादी क्रम का 1/2 हिस्सा सह खातेदार घनश्याम पुत्र देव्या के साथ दर्ज रिकोर्ड था। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा अपने 1/2 हिस्से की आराजी का हक त्याग अपने भाई घनश्याम पुत्र देव्या को कर दिया गया। तथा रिलीज डीड का पंजीयन उप पंजीयक रामगंजमण्डी जिला कोटा के समझ करवा लिया गया। अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे तय की जाती हैं

आया प्रतिवादी भँवरलाल आत्मज जगन्नाथ जी का पुत्र होने से सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकारी होने से प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होकर खातेदार है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 पर था। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है वादीगण की माता वादीगण के पिता भंवरलाल के नाते गई थी। तथा अपने साथ अपने पूर्व पति के पुत्र रघुनाथ को साथ लेकर गई थी। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 की मा एक ही परंतु प्रतिवादी क्रम 1 के पिता भंवरलाल नही है। क्योकि प्रतिवादी क्रम 1 वादीगण की मा एव पिता के नुफते से पैदा नही हुआ। प्रतिवादी क्रम 1 अपनी मां के साथ गैलड़ आया था। गैलड़ का पैतृक सम्पत्ति मे कोई हक अधिकार निहित नही होता है। अतः प्रतिवादी क्रम 1 भंवरलाल की सम्पत्ति मे मे हक व अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है। यह तनकी प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध तय की जाती है।

5. सहायता–

प्रतिवादी क्रम 1 को अपने पूर्व पिता से प्राप्त आराजी ग्राम अलोद, पटवार मण्ड़ल अलोद, तहसील रामगंजमण्डी शामलाती खाते की भूमि खाता संख्या 46 की आराजी मे प्रतिवादी क्रम का 1/2 हिस्सा सह खातेदार घनश्याम पुत्र देव्या के साथ दर्ज रिकोर्ड था। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा अपने 1/2 हिस्से की आराजी का हक त्याग अपने भाई घनश्याम पुत्र देव्या को कर दिया गया। तथा रिलीज डीड का पंजीयन उप पंजीयक रामगंजमण्डी जिला कोटा के समझ करवा लिया गया। वादीगण की माता वादीगण के पिता भंवरलाल के नाते गई थी। तथा अपने साथ अपने पुत्र रघुनाथ को साथ लेकर गई थी। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 की मा एक ही परंतु प्रतिवादी क्रम 1 के पिता भंवरलाल नही है। क्योकि प्रतिवादी क्रम 1 वादीगण की मा एवं पिता के नुफते से पैदा नही हुआ। प्रतिवादी क्रम 1 अपनी मां के साथ गैलड आया था। गैलड़ का पैतृक सम्पत्ति मे कोई हक अधिकार निहित नही होता है। अतः प्रतिवादी क्रम 1 भंवरलाल की सम्पत्ति मे मे हक व अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

हमने उपरोक्त तनकीयात के आधार पर पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात, का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रतिवादी नं. 1 स्व. भवरलाल के गैलड आया था तथा वह स्व. भंवरलाल के नुत्फे से उत्पन्न नहीं हुआ था। प्रतिवादी नं. 1 के पिता देव्या की ग्राम अलोद, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा में खसरा नम्बर 91, 99, 305, 312, 314, 627 आदि की आराजी स्थित थी जिसमें प्रतिवादी नं. 1 रघुनाथ भी हिस्सेदार था। इस प्रकार स्पष्ट है कि देव्या के नुत्फे से उत्पन्न होने के कारण प्रतिवादी नं. 1 रघुनाथ, अपने पिता देव्या की आराजी में अपना हिस्सा प्राप्त कर चुका है तथा रघुनाथ के स्व. भंवरलाल के नुत्फे से उत्पन्न नहीं होने व गैलड होने से उसका विवादित आराजी में किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा निहित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम मानसगांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 1057 व 1065 रकबा 4.08 हैक्टेयर में से रघुनाथ का नाम डिलीट किया जाकर सत्यनारायण, बद्रीलाल पुत्रान भंवरलाल को 5/9 हिस्से तथा राधेश्याम पुत्र भंवरलाल को 4/9 का खातेदार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, लाडपुरा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्रीमती हुकम कँवर)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती हुकम कंवर, आर.ए.एस.

बउनवान –

1 सत्यनारायण आत्मज स्व. भंवरलाल, जाति अहीर
2. बद्रीलाल आत्मज स्व. भंवरलाल, जाति अहीर
निवासीगण ग्राम मानसगांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (वादीगण)

बनाम

1. रघुनाथ आत्मज स्व. देव्या, जाति अहीर, निवासी द्वारा मकान नं. 483 सी, श्रीनाथपुरम, बाबा रामदेव मन्दिर के पास, लक्की किराना स्टोर वाली गली, श्रीनाथपुरम, कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 44A / 18
निर्णय दिनांक : 16.06.2025

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री घनश्याम नागर एवं प्रतिवादी क्रम–1 की ओर से विद्वान प्रतिवादी अभिभाषक श्री बृजराज कुमार मंत्री, उपस्थित हुये। पक्षकारान की सुनवाई एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व अभिलेखों के आद्योपान्त अवलोकन उपरान्त आज तारीख 16.06.2025 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती हुकम कंवर, आर.ए.एस. (सहायक कलक्टर, कोटा) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम मानसगांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 1057 व 1065 रकबा 4.08 हैक्टर में से रघुनाथ का नाम डिलीट किया जाकर सत्यनारायण, बद्रीलाल पुत्रान भंवरलाल को 5/9 हिस्से तथा राधेश्याम पुत्र भंवरलाल को 4/9 का खातेदार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, लाडपुरा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।
खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 16.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(श्रीमती हुकम कँवर)
सहायक कलक्टर
मुख्यालय, कोटा

वाद के खर्चे

वादी		रूपया	प्रतिवादी		रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	